

22-08-17

आवेदिका अनुपस्थित।

आवेदिका की ओर से कोई अधिवक्ता भी उप0 नहीं।

आवेदिका एवं उसके अधिवक्ता की न्यायालय कक्ष के बाहर बार-बार पुकार लगाई गयी परन्तु कोई उप0 नहीं हुआ।

अनावेदक द्वारा अधिवक्ता श्री हृदेश शुक्ला उप0।

प्रकरण आज आवेदिका साक्ष्य हेतु नियत है।

आज दिनांक को आवेदिका की ओर से उसके पक्ष समर्थन में कोई अधिवक्ता भी उप0 नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका उक्त आवेदन में कार्यवाही नहीं करना चाहती है। अतः प्रस्तुत आवेदन आवेदिका की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जेएमएफसी, गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)